कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पत्रांक–वा0क0अधि0 / न्या0क0वि0 / 290 / 2023. लखनऊ::दिनांक::फरवरी 16, 2023.

–:: परिपत्र ::–

मेरे द्वारा प्राथमिकता के आधार पर पुरानी अपीलों के निस्तारण के सम्बन्ध में समय–समय पर परिपत्र के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश परिचालित किये गये हैं। पीठों से प्राप्त न्यायालय कार्य विवरण पत्रों के अवलोकन से विदित हो रहा है कि पीठासीन अधिकारियों द्वारा पुरानी अपीलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किये जाने में पर्याप्त रूचि नहीं ली जा रही है तथा पुरानी अपीलों में स्थगन की स्थिति भी चली आ रही है। अपीलों के निस्तारण के सम्बन्ध में यह स्थिति उचित व संतोषजनक नहीं है।

अतः समस्त सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी पीठों में वर्ष 2018 तक की लम्बित द्वितीय अपीलों को प्राथमिकता के आधार अभियान चला कर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन पुरानी अपीलों में स्थगन प्रदान किया गया है और द्वितीय अपील लम्बित है तो उसका निस्तारण विशेष रूचि लेते हुए अवश्य सुनिश्चित किया जाए।

ह0 / 16.02.2023
(अरविन्द मलिक)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।

2– वरिष्ठ सहायक(विवरण), मुख्यालय को गार्ड हेतु।

3– वेब अधिकारी, मुख्यालय।

आज्ञा से,
(तरुण कुमार)
निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।